# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लुणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कंसोटिया RAS

राजस्व अपील संख्या – 34ए / 2023

| अपीलांट | बनाम | रेस्पोडेन्टस |
|---|---|---|
| 01.केशवदास पुत्र सुखदास जी जाति वैष्णव निवासी कुदारती वली सरक्षंक भाई श्री मांगीदास पुत्र मांगीदास पुत्र सुखदास जी जाति वैष्णव निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर। | | 01.पवनदास पुत्र बालूदास जाति वैष्णव साध निवासी ग्राम शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुरं<br>02.ग्राम पंचायत शिकारपुरा जरिये संरपच। |

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1180 ग्राम पंचायत शिकारपुरा तहसील–लुणी, जोधपुर द्वारा दिनांक 23.11.2022 को पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता – हनुमान प्रजापत।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से तमिल वाजूद अनुपस्थित।

:: आदेश :: दिनांक : 17/4/2023

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध ग्राम शिकारपुरा के नामांतरकरण संख्या 1180 दिनांक 23.11.2022 को ग्राम पंचायत शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम शिकारपुरा हाल तहसील लूणी मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 11 व 12 कुल खसरा 2 कुल रकबा 9.1135 हेक्टर की कृषि भूमि अपीलान्ट के सह खातेदारी की कृषि भूमि है। अपीलान्ट केशवदास का 1/7 हिस्सा बनता है अपीलान्ट केशवादास लम्बे समय से लगभग 50 वर्षो से मन्दबुद्वि का पागल व्याक्ति है जो किसी भी रूप मे सोचने समझने की क्षमता नही रखता है जिसके लिए चिकित्सक द्वारा भी उन्हे पागल घोषित कर रखा है अपीलान्ट का भाई मांगीदास केशवदास की सेवा चाकरी करता है तथा परिवार के अन्य सदस्य भी उनका ख्याल रखते है कुदारती वली एवम्र सरक्षंक भी है। रेस्पोडेण्स संख्या 01 अपीलान्ट के परिवार का ही सदस्य है जिसे इस बात की भली भांती जानकारी है कि अपीलान्ट केशवदास मन्द बुद्वि का व्याक्ति है जो किसी प्रकार की संविदा या दस्तावेज करने मे असक्षम है इसके बावजूद भी रेस्पोडेण्टस संख्या 01 ने केशवदास की मन्द बुद्वि का फायदा उठा कर तथकथित हकतर्कनामा बनाते हुए अपीलधीन नामान्तरकरण सं, 1180 ग्राम पंचायत से स्वीकृत करवा दिया जबकि तथाकथित हकतर्कनामा दिनांक 28.10.2022 शुन्य दस्तावेज है जो किसी तरह का हक अधिकार नही रखता है हल मे ही गांव के केशवदास की जमीन पर भूमाफियो की नजर पडी एवम्र भूमि को बेचने की बात सूनी तो अपीलान्ट द्वारा रेकार्ड की जानकारी करने पर उपरोक्त नामान्तरकरण की जानकारी हाल मे ही दिनांक 05.01.2023 को अपीलान्ट को हुई तो अपीलान्ट ने अपीलाधीन म्यूटेशन की नकल ली तथा अविलम्ब अपील न्यायालय मे दायर की गई। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कि जावे अपीलाधीन नामान्तरकण सख्या 1180 दिनाक 23.11.2022 ग्राम शिकारपुरा निरस्त कर तथा इस नामान्तरकरण के पश्चात राजस्व रिकार्ड मे किये गये तमाम इन्द्राजो को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

(मुहर: सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी)

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को नोटिस जारी किए जिस पर ग्रम पंचायत संरपंच द्वारा स्वंय उपस्थित हुए। रेस्पोडेण्ट पवनदास स्वंय उपस्थित होकर सहमति पत्र पेश किया जिसमे भू माफियो के कहने से गलत रूप से हकतर्कनामा करवाया गया है जबकि केशवदास मंदबुद्वि एव विकृत चिन्त व्याक्ति है। इस दस्तावेज के आधार पर भूमाफियो केशवदास की भूमि हडपना चाहते है जिसकी धमकी दे रहे है देसी स्थिति मे अपीलाधीन म्यूटेशन निरस्त कर हकतर्कनामा के पूर्व की स्थिति बहाल की जाने की सहमति दी। जो शमिल पत्रावली कि गई।

अपील मे अधिवक्ता की बहस पर सुना गया। उपरोक्त अपील मे स्वीकृत स्थिति है कि खातेदार केशवदास विकृतचिन्त व्याक्ति है तथा इस बाबत सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण पत्र है तथा केशवदास अपने भाई मांगीदास के मार्फत उक्त अपील पेश की एवं न्यायालय मे उपस्थित हुआ तथा स्वय रेस्पोडेण्टस ने भी केशवदास के विकृत चित होने के कथन को स्वीकार किया ऐसी स्थिति मे कानूनी तौर पर विकृत चित व्याक्ति किसी भी प्रकार की संविदा करने एवं दस्तावेज पंजीबद्व करने मे असमर्थ है इस कारण ऐसा दस्तावेज प्रारम्भ से ही शुन्य है। इन परिरिथतियो मे ऐसा किसी शुन्य दस्तावेज के आधार पर भरा गया म्यूटेशन भी शुन्य है जिसमे किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। इस कारण अपील पेश करने जो विलम्ब हुआ है वो सम्म है जिसे माफ किया जाता है तथा अपीलधीन म्यूटेशन शुन्य श्रेणी का होने से निरस्त किए जाने योग्य होने से निरस्त किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकारण सख्या 1180 दिनांक 23.11.2022 जो ग्राम शिकारपुरा तहसील लूणी द्वारा भरा गया जो नामान्तरकरण सख्या 1180 को निरस्त किया जाता है व तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि ग्रम शिकारपुरा के खसरा नम्बर 11 व 12 मे हकतर्कनामा के पूर्व की स्थिति बहाल करे। नामान्तरकण संख्या 1180 को निरस्त करे तथा राजस्व रेकर्ड मे नोट अंकित करे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

( पुखराज कंसोटिया )RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
लुणी, जिला जोधपुर।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner